



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 238 राँची, मंगलवार, 10 वैशाख, 1946 (श०)
30 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-49/2022 का०-1505--श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-686/03), तत्कालीन प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो के विरुद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5910, दिनांक 23.11.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्रीमती मिश्रा जब वर्ष 2007 में पदस्थापित थीं तब आयुक्त के सचिव, कोल्हान प्रमंडल के पत्रांक-1233, दिनांक 07.12.2007 द्वारा किये गये पृच्छाओं के आलोक में प्राक्कलन की गहन जाँच करते हुए अभिलेख उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को उपस्थापित किया जाना था, जो नहीं किया गया। यह इनकी गलत मंशा एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है ।

2. वर्ष 2006 में कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति में अपर निदेशक, भू अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमेशेदपुर भी सदस्य के रूप में शामिल थी। अभिलेख के गहन छानबीन किए बिना एवं स्थल जाँच किये बिना प्राक्कलन तैयार किया गया तथा वादी के दावा को सही बताया गया और वरीय पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जो संदेहास्पद एवं गलत मानसिकता को दर्शाता है ।

3. आयुक्त कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल के पत्रांक-1233, दिनांक 07-12-2007 द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए दिसम्बर 2007 में संचिका विशेष भू-अर्जन कार्यालय, जमशेदपुर को वापस की गयी। उक्त पृच्छाएँ निम्नवत हैं

- (a) किस आधार पर मूल्यांकन किया गया है स्पष्ट नहीं है।
- (b) क्या पूर्व में इसका भुगतान नहीं हुआ है?
- (c) क्या इतने ही व्यक्तियों को इस गाँव में मकान था ?
- (d) उस समय मकान का दर जो था और अब के मकान में दर में अंतर है।

अधिक भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा ?

उक्त पृच्छाओं का निराकरण करते हुए दिनांक 15.03.2012 को तत्कालीन विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी द्वारा संचिका का उपस्थापन किया गया। दिसम्बर 2007 से मार्च 2012 चार वर्षों से अधिक समय तक इतनी महत्वपूर्ण संचिका पर कार्रवाई नहीं किया गया।

4. डब्लू०पी०(सी०) सं०-6113/2009 में दिनांक 11.01.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी वादियों से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया एवं कार्यालय में संधारित भू- अर्जन, भू-अभिलेख के खेसरा पंजी, मूल्यांकन खतियान पंजी के एवं घोषित पंचाट से मिलान करते हुए तार्किक आदेश ज्ञापांक-444, दिनांक 27.01.2012 द्वारा आवेदकगण के दावा को निरस्त किया गया।

5. श्रीमती मिश्रा का उक्त कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों पर श्रीमती मिश्रा के पत्रांक- 24, दिनांक 10.01.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 23112(HRMS), दिनांक 31. 07.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-116 दिनांक 15.12.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
